### कर्मिक अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन

संख्या-9/ 2016/ 2/ 1/ 97/ का-2/ 2016

लखनऊ :: दिनांक 12 सितम्बर, 2016

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर कार्य कर पहें द्योंकियों प्रख्यापित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' विनियमितीकरण नियमावली, 2016 (अंग्रेजी रूपांतर सहित) की सलग्न प्रतिलिपि अधिसूचना संख्या-९/ २०१६/ २/ १/ ९७७/ का-२/ २०१६, दिनांक 勽 सितम्बर, 2016 और समूह 'घ' 닭김

- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, इ ॐतर प्रदेश।
- सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश
- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्य बेवा चयन आयोग, लखनङ।
- 10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- वेब अधिकारी/ बेब सास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 12. सचिवालय के समस्त्र अनुभाग।
- 13. गार्ड फॉइल।

अशोक कुमार श्रीवास्तव विशेष सचिव। आजा से,

शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

# उत्तर प्रदेश शासन

# कांमिक अनुभाग-2

संख्या-9/ 2016/ 2/ 1/ 97-का-2/ 2016

लखनऊ, दिनाक: 12 सितम्बर, 2016

### अधिस्चना प्रकीव

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय 

विनियमितीकरण नियमावली, 2016 पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा धर कार्य कर रहे व्यक्तियों की उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह चा और समूह

भूरुक संक्षित और

और समूह 'घ' क पदा - . कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2( और समूह 'घ' के पदों पर सरकारी विभाग में देकिक मैजूद्री या कार्य-प्रभार या संविदा पर कार्य **:** (<u>+</u>) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र 20.16 कही जायेगी। के बाहर) समूह 'ग'

- $\Im$ यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- Ņ यह नियमावली निम्नलिम्बित के विनियमितीकरण के लिए लागू नहीं होगी:
- (एक) मौसमी संग्रह अमीनी मोसमी चपरासी;

विनियमितीकरण के लिये लागू न होगी

नियमावली जहाँ यह

- <u>ਜ</u>੍ਹ उद्यान विभाष, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा विभाग और ऐसे समरूप विभागों में मौसमी कार्यों के लिये लगे हुए/ नियोजित/ परिनियोजित ट्यिक्त/ ट्यिक्तयों;
- (तीन) राज्य संस्कृर की योजनाओं/ परियोजनाओं या भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों समेकित वेतन/ नियत मानदेय पर लगे हुए/ नियोजित/ अभिनियोजित ट्यक्ति/ व्यक्तियो;
- (चार) होम हुए/ नियोजित/ अभिनियोजित व्यक्ति/ व्यक्तियों; गार्ड स्वयंसेवक ¥ प्रान्तीय द्भव 젃 स्वयसेवक \$ 쾰
- (पाँच) शिक्षा व्यक्ति/ व्यक्तियों; म्य ᅫ किसान मित्र Ź ਮ; 굅 हुए/ नियोजित/ अभिनियोजित
- ( 영 ( मनरेगा योजना व्यक्ति/ व्यक्तियो (ग्राम्य विकास विभाग) 왕 अधीन लगे हुए/ नियोजित/ अभिनियोजित

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

- (सात) आंगनबाड़ी केन्द्र (महिला एवं बाल कल्याण विभाग) में लगे हुए/ नियोजित/ अभिनियोजित त्यक्ति/ त्यक्तियों;
- (आठ) आशा बहू (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के अभिनियोजित व्यक्ति/ व्यक्तियों; श्व में <u>위</u> हुए नियोजित
- <u>ਜ</u>੍ਹ ऐसे व्यक्ति/ व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह जैसा कि अधिसूचित किया जाय। समय-समय पर र जिस स्यकार
- प्रभावी होगी। गयी किसी अन्य नियमावली संविधान नियमावली या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकृत बात के होते 왕 अनुच्छेद ३०७ के परन्तुक के अधीन <u>.</u> राज्यपाल द्वारा बनायी हुए भी

अध्यारोही

- जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो
- (<del>왕</del> 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य समूह 'या या समूह 'घ' के किसी पद के सम्बन्ध में यथास्थिति सुसंगत सेवा नियमावली या सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से हैं;
- (ख) 'संविधान का तात्पर्य' आरत का संविधान से है;
- <u>a</u> रूप से प्रवर्तनीय अनुबंध से 'संविदा' का तात्पर्य दो या अधिक पक्षों के मध्य पारस्परिक बाध्यताओं के साथ विधिक ù,
- (E) आती 'देनिक मजदूरी' का ताट्पर्य ऐसे आकस्मिक कार्य पर लगा हुउ मजदूरी/ पाँदेश बीक की गणना उसके द्वारा किये गये कार्यों के दिनों के आधार पर की ∄j ार्ड इआ ट्यिक्ति के दैनिक वेतन से हैं 멐 नियोजित 럶 अभिनियोजित जो दिन प्रतिदिन के किसी 茅
- (इ) 'राज्यपाले का लात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
- (च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;
- (B) ्र्यकृति के कार्य पर नियोजित हो, जिसका वेतन, तत्समय उस कार्य के आधार पर, जिसमें कार्य प्रभार' का तांत्पर्य ऐसे व्यक्ति के कार्य-प्रभार से वह लगाया गया हो, प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित किया जाता है। 34 जो अस्थायी स्थापना
- उपलब्ध रिक्त पद पर विनियमितीकरण किया जायेगा: नियम N के उपबन्धों के अध्यधीन, इस नियमावली के अधीन किसी सरकारी विभाग में

अनुमोदन से कोई अधिसंख्य पद सृजित किया जा सकता है। परन्तु 哥 यदि रिक्त पद उपलब्ध नहीं <u>귀</u> जब भी आवश्यक 孪

विनियमितीकरण

द्र स

किया जायेगा

उपलब्ध रिक्त

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

- (एक ) जो किसी सरकारी विभाग में 31 दिसम्बर, 2001 को या उससे पूर्व समूह 'ग' या समूह 'घ' या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो; और कार्य-प्रभार या संविदा पर सीधे लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में लगा हुआ या नियोजित के पद (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) पर दैनिक वेतन/ मजदूरी या
- <u>ਕ</u>) दैनिक दैनिक मजदूरा या काय-प्रकार ना राजना अभिनियोजन के समय उस पद पर नियमित नियुक्ति के लिए विद्वित्ते अर्थकीत अर्हताएं जो सुसंगत सेवा नियमावली और उपरिलिखित नियम 2 और 5 के उपबन्धों के अध्यथीन या संविदा विनियोजन्

कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व, उसके अभिनेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार नियमित नियुक्ति के लिए ऐसी रिक्ति में सुसंगत से बा नियमावली या आदेशों के पर स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उपलब्ध हों, समूह 'ग' या समूह 'घ' के पद (उत्तर प्रदेश लोक सेबा आयोग के क्षेत्र के बाहर) अनुसार

- और इस नियमावली के अधीन विनियमितीकरण के समय प्रवृत्त सरकार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विक जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्तियाँ करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, आदेशों के
- अनुसार एक चयुन सिम्निति का गठन करेगा। (3) उप नियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी सेवा नियमावली के संगत उपबन्धों
- संविद्या । पात्रता समिति के समक्ष रखा जायेगा। अभिलेखों सिहत जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिए विचारार्थ आवश्यक हों, चयन क्रेमिक्ट् करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त विनियोजन या नियोजन या अभिनियोजन के आदेश में (4) नियुक्ति प्राधिकारी, उप-नियम (1) के उपबन्धों को ध्यान में रखते े सूत्री ऊस इयेष्ठता-क्रम में तैयार करेगा जैसा कि दैनिक मजदूरी पर, कार्य-प्रभार पर या ्षर् विनियोजन या नियोजन या अभिनियोजन के दिनांक से अवधारित हो और यदि दो या ं च्यक्ति एक साथ लगे हों या नियोजित हो या अभिनियोजित हों तो उस क्रम में तैयार किये गये हों। सूची को उनकी चरित्रपंजियों और उनके सम्बन्ध में ऐसे अन्य हुए अभ्यर्थियों की एक सुसगत
- आधार पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के सिमिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उप-नियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी करेगी।

करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। 6 चयन सिमिति चयनित अभ्यर्थियों के नाम ज्येष्ठता-क्रम में रखत इंग् 4 सूची तैयार

उनके नाम सूची में आये हों। उप-नियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची में से नियुक्ति प्राधिकारी नियम 6 के उप-नियम (2) नियुक्तियाँ उस क्रम में करेगा जिस क्रम में के उपबन्धों के अध्यधीन उक्त नियम

जायगा

अधीन किया गया समझा सेवा नियमावली आदि के नियुक्तियों को सुसंगत

ज्येष्ठता

कोई हों, अधीन की गई समझी जायेंगी। 00 इस नियमावली के अधीन की गई नियुक्तियाँ सुसंगत सेवा नियमावली या आदेशों के, यदि

9. (<del>1</del>) यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त ट्योक्कियों के नीचे रखा जायगा। सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों या लिए चयन के इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अये कता का हकदार अनुसार विनियमितीकरण होगा

नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायगी। (2) यदि दो या अधिक ट्यिक एक साथ नियुष्त किये जाय तो उनकी परस्पर जयेष्ठता

सेवा की समाप्ति

होगा। रहा हो और जो इस नियमावली के तत्काल समाप्त <u></u> ऐसे ट्यिक की सेवाएं जो दैनिक मुजदूरी पर या कार्य-प्रभार पर या संविदा पर कार्य कर <u>ک</u> दी जीवंगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार अधीन विचार किये जाने के पश्चात् उपयुक्त न पाया जाय,

अपवाद

है वहीं सम्बन्धित विभाग मामले में न्यायालय का आदेश प्राप्त करेगा और तदनुसार कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण में उस न्यायालय के समक्ष कोई योजना प्रस्तुत की गयी 11. इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी विभाग में दैनिक मजदूरी पर या कार्य-प्रभार पर पर संविदा पर कार्य कर रहे किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों के विनियमितीकरण के लिए

विनियमितीकरण अधिकार का विषय नहीं

संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा अधिकार के विषय के रूप में विनियमितीकरण के <u>1</u>2 लिए दावा नहीं किया जायेगा। इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी दैनिक मजदूरी पर या कार्य-प्रभार पर या

۲ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं

इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

नेरसन और व्यावृत्तियों

पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2001 एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं। दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1998 और उत्तर प्रदेश समूह 'घ' के पदों 13. (1) उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर

मानो इस नियमावली के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी नियुक्तियां, इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायंगी (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नियमों के अधीन इस नियमावली

आजा से कार्या अपना सिंह अटोरिया

्रमुख सचिव।

शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है; अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2016, dated 12 September, 2016: following English translation of notification no.9/2016/2/1/97-Ka-2-Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the

# GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH PERSONNEL SECTION-2 NOTIFICATION Miscellaneous No.9/2016/ 2/1/97-Ka-2-2016

Dated, Lucknow, 12 September, 2016

IN exercise of the powers conferred by the provise to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following 

OF THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION **RULES**, 2016 GROUP 'C' AND GROUP 'D' POSTS (OUTSIDE THE PURVIEW ON CONTRACT WORKING ON DAILY WAGES OR ON WORK CHARGE OR THE UTTAR PRADESH REGULARISATION OF PERSONS IN GOVERNMENT DEPARTMENTS 2

- Short title and 1.(1) commencement
- Persons Contract In Government Departments On Group "C" And Group "D" These rules may be called Commission) Rules, (Outside The Purview Of The Uttar Pradesh Public Service Working On , 2016. Daily Wages or On Work Charge or The Uttar Pradesh Regularisation of
- (2) They shall come into force at once
- Where these rules shall not

regularisation

B

Seasonal Collection Ameen/Seasonal Peon;

These rules shall not apply for regularisation of:

- Person/Persons Department and such similar Departments: Department, Agriculture Department, engaged/employed/deployed for Agriculture Education seasonal works
- $\Xi$ India sponsored programmes; honoraria in the schemes/projects of State Government or Government of Person/Persons engaged/employed/deployed on consolidated pay/ fixed
- (E) Person/Persons engaged/employed/deployed as Home Guard Volunteer and Prantiya Rakshak Dal Volunteer;

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही 

<sup>&#</sup>x27;n इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

- $\Im$ Person/Persons engaged/employed/deployed as Shiksha Mitra and Kisan
- (M) (Rural Development Department) Person/Persons engaged/employed/deployed under MNREGA Scheme
- (VII) and Child Welfare Department); Person/Persons engaged/employed/deployed in Aaganbadi Kendra (Women
- (viii) and Family Welfare Department); Person/Persons engaged/employed/deployed as Asha Bahu (Medical, Health
- $(\mathbf{x})$ Government from time to time Such person/persons OI. group of persons <u>S</u>5 notified by y the State

### Overriding effect

Definitions

- ij any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in Constitution, or orders for the time being in force. d)
- 4. Unless there is anything repugnant in the subject or context:
- (a) authority empowered to make appointment on such post under the relevant Service Rules or the executive instructions issued by the Government, as the "Appointing Authority" in relation to a Group 'C' or Group 'D' Post means the case may be;
- 3 "Constitution" means the Constitution of India;
- <u>c</u> with mutual obligations; "Contract" means, legally enforceable agreement between two or more parties
- (d) casual work on day to day basis and whose wages/remuneration is calculated "Daily Wages" means a person who is engaged or employed or deployed on a on the basis of the days he has worked;
- "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;
- (g) (E) (e) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;
- the work of this nature, the work on which he is engaged. "Work Charge" means a person of temporary establishment or employed on whose pay, for the time being, is charged directly on

#### to be made on vacant post available Regularisation

5. *9* available vacant post in a Government Department: Subject to the provisions of rule 2, regularisation under these rules shall be done on

supernumerary post may be created with the approval of the Government Provided that if vacant post is not available then, as and when required, a

## Regularisation

Ġ

(1) Any person who-

- or deployed or working as such on the date of the commencement of these rules; Commission) on or before December 31, 2001 and is still engaged or employed wages or on work charge or on contract in a Government Department on Group Group 'D' post (outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service (i) was directly engaged or employed or deployed or working on daily
- (ii) possessed requisite qualifications prescribed for regular appointment

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही 哗

Ņ इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

daily wages or on work charge or on contract, under the relevant service rules and, subject to the provisions of above mentioned rules 2 and 5, for that post at the time of such engagement or employment or deployment on

service rules or orders any regular appointment is made in such vacancy in accordance with the relevant commencement of these rules, on the basis of his record and suitability before post (outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) in permanent or temporary shall be considered for regular appointment on Group 'C' or Group 'D' vacancy as may be available on the date

- orders of the Government in force at the time of regularisation under these rules. Services(Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 and the Uttar Pradesh Public Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Backward Classes and other categories, shall be made in candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other kward Classes and other categories, shall be made in accordance with the In making regular appointments under these rules, reservations for
- service rules. constitute a Selection Committee in accordance with the relevant provisions of For the purpose of sub-rule . P (1), the appointing authority shall
- order. The list shall be placed before the Selection Committee alongwith their sub-rule (1), considered necessary to assess their suitability. character their names are arranged in the said engagement or employment or deployment persons are engaged or employed or deployed together, from the order in which deployment semority as rolls and such other relevant records, pertaining to them, as may be on daily The appointing authority shall, having regard to the provisions of prepare an eligibility list of the candidates, arranged in order of determined from the date of engagement or employment or wages, on work charge or on contract and, if two or more
- suitability. considers necessary, it may interview the candidates also to assess candidates on the basis of their records, The Selection Committee shall consider the cases of referred to in sub-rule (4), and if it their the
- appointing authority. arranging their names in order of seniority and forward the same to the 9 The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates

## Appointments

- .7 the order in which their names stand in the list. make appointments from the list prepared under sub-rule(6) of the said rule, The appointing authority shall, subject to the provisions of sub-rule(2) of rule 6,
- Appointments 8. be deemed to be under the relevant service rules etc.
- the relevant service rules or orders, if any Appointments made under these rules shall be deemed to be appointments under

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

ņ इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Seniority

- 9 rules. regular prescribed procedure, prior to the appointment of such person under these appointed in accordance with the relevant service rules or, as the case may be, the accordance with these rules and shall, in all cases, be placed below the persons the A person appointed under these rules shall be entitled to seniority only he date of order of appointment after selection for regularisation in
- be determined in the order mentioned in the order of appointment If two or more persons are appointed together their seniority inter se shall

Termination of services

10. The services of a person who is working on daily wages, or on werk-charge or on one month's wages. contract and who is not found suitable, after consideration under these rules, shall be terminated forthwith and, on such termination, he shall be entitled to receive

Exceptions

1 orders of the Court in the matter and shall act accordingly. in pursuance of an order of the Court, the concerned Department shall obtain the on contract in any Government Department has been presented before any Court regularisation of a person/persons working on daily wages or on work charge or Notwithstanding anything contained in these rules, where any scheme for

Regularisation not a matter of

12. Notwithstanding anything contained in these rules, the person/persons working regularisaiton as a matter of right. on daily wages or on work charge or on contract, shall have no claim for

Repeal and savings

- 13. (1) The Uttar Pradesh Regularistion of Daily Wages Appointment on Group 'C' Wages Appointments on Group 'D' Posts Rules, 2001 are hereby repealed. Commission) Rules, 1998 and the Uttar Pradesh Regularisation of Daily (Outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service
- $\hat{\mathcal{C}}$ have been made under these rules as if the provisions of these rules were in Notwithstanding such repeal, appointments made under the rules referred to force at all material times in sub-rule(1), prior to the commencement of these rules, shall be deemed to

By order, Kishan Singh Atoria Principal Secretary

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं <u>7</u>4

इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।